



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

इंटरमीडिएट द्विवर्षीय व्यावसायिक परीक्षा, 2018 के प्रमाण पत्रों पर त्रुटि निराकरण एवं प्रमाण पत्रों के वितरण के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञापित संख्या - 51/2018

एतद् द्वारा इंटरमीडिएट द्विवर्षीय व्यावसायिक परीक्षा, 2018 के सभी संबंधित छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को सूचित किया जाता है कि:-

1. इंटरमीडिएट द्विवर्षीय व्यावसायिक परीक्षा, 2018 के परीक्षा में सम्मिलित छात्र/छात्राओं, के अंक पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र, आब्रजन प्रमाण पत्र एवं क्रॉस लिस्ट परिषद् कार्यालय, राँची, क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर से दिनांक 10.08.2018 से वितरित किए जायेंगे। संबंधित विद्यालयों के प्रधानों से अनुरोध है कि वे स्वयं या अधिकृत दूत के माध्यम से ससमय उक्त सामग्री प्राप्त कर छात्र/छात्राओं को वितरित करना सुनिश्चित करेंगे।
2. इंटरमीडिएट द्विवर्षीय व्यावसायिक परीक्षा, 2018 के जिन छात्र/छात्राओं के अंक पत्र आदि में नाम, माता/पिता का नाम, जन्म तिथि, सूचीकरण संख्या आदि में त्रुटि हो, तो ऐसे छात्र/छात्राएँ अपना आवेदन पत्र (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्र की छायाप्रति के साथ) **दिनांक 24.08.2018** तक संबंधित विद्यालय में निःशुल्क जमा करेंगे। संबंधित प्रधान सभी आवेदनों को सूचीबद्ध कर अग्रसारित करते हुए परिषद् कार्यालय में **दिनांक 30.08.2018** तक अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। इस तिथि के पश्चात् संशोधन शुल्क 400/- (चार सौ रुपये) के साथ आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे।
3. अंक पत्रक पर किसी भी प्रकार की अभ्युक्ति यथा Invalid, Incomplete, Withheld, Absent है तो संबंधित विद्यालय के प्रधान द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्र) की छाया प्रति लगाकर परिषद् कार्यालय में **दिनांक 20.08.2018** तक किसी भी कार्य दिवस में जमा कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त परीक्षाफल में संशोधन हेतु आवेदन परिषद् कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

शुल्क:- शुल्क की राशि हेतु बैंक ड्राफ्ट “**JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, FUND**” के नाम से देय एवं भुगतये, राँची, संचाल परगना प्रमण्डल के लिए भुगतये, दुमका एवं पलामू प्रमण्डल के लिए भुगतये, डाल्टेनगंज होगा।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-

(**रजनीकान्त वर्मा**)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/Inter VOC/3952/09-SECY-447/18

Dt. 08.08.2018

D.O.P. 09.08.2018

